खण्ड-402, अंक-9
सोमवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1913
(12 अगस्त, 1991 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 402 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
नियम311 के अन्तर्गत सूचना को प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने की मांग.	क 1
प्रश्नोत्तर (प्रश्न उत्तरित माने गये)	
मा0 सदस्यों के आचरण एवं व्यवहार की जांच हेतु समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृति)	20
यू0 पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन 1987-88 (सदन के पटल पर रखा गया) . . .	22
यू0 पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85 (सदन के पटल पर रखा गया)	22
उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85 (सदन के पटल पर रखा गया)	22
यू0 पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद का 10वा वार्षिक प्रतिवेदन 1983-84 (सदन के पटल पर रखा गया) . . .	22
उत्तर प्रदेश राज्य ब्रासवेयर निगम लिमिटेड मुरादाबाद का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सदन के पटल पर रखा गया) . . .	22
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एव प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सदन के पटल पर रखा गया) . . .	23
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एव लेखा 1985-86 (सदन के पटल पर रखा गया) . .	23
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन 1982-83 (सदन के पटल पर रखा गया) . . .	23
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल की सुविधाएं) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1990 (सदन के पटल पर रखी गयी) गयी)	23
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1991 तथा उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) . . .	23
उत्तर प्रदेश विनियोग (1991-92 का अनुपूरक) विधेयक, 1991 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	24
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	24
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	24
उत्तरांचल के नाम से पृथक राज्य की स्थापना का प्रस्ताव. . . . (स्वीकृत)	26
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व-विद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव का स्थगन.	26

विषय	पृष्ठ संख्या
रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में सदस्यता के लिए विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव का स्थगन . . .	26
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्त नगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव का स्थगन	26
उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा मांगने एवं पुरः स्थापित करने सम्बन्धी मद का स्थगन ।	26
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा मांगने एवं पुरः स्थापित करने संबंधी मद का स्थगन . . .	26
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन एवं वैधीकरण) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने हेतु अनुज्ञा मांगने तथा पुरः स्थापित करने संबंधी मद का स्थगन ।	26
उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा मांगने एवं पुरः स्थापित करने सम्बन्धी मद का स्थगन ।	26
उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेन्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण का प्रस्ताव का स्थगन ।	27
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव का स्थगन ।	27
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव का स्थगन ।	27
उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव का स्थगन ।	27
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) . . .	27
जनपद मऊ में त्वरित विकास के लिए विकास प्राधिकरण स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय स0 वि0 स0 के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण तथा चर्चा का स्थगन . .	27
प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री सुरेन्द्र नाथ द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य का स्थगन ।	27
प्रदेश के बुनकरों को ऋण प्रदान न किये जाने के कारण व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य का स्थगन . . .	27
नत्थी	28

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 12 अगस्त, 1991

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
अमर सिंह, श्री — बिजनौर
अरिदमन सिंह, श्री — आगरा
अर्जुन, श्री — सुल्तानपुर
उम्मेद सिंह, श्री — आगरा
ओंकार सिंह, श्री — एटा
ओम प्रकाश, श्री — फतेहपुर
कटार सिंह, डा0 — मेरठ
किशोरी श्याम, श्री — मथुरा
कृष्ण किंकर सिंह, श्री — बस्ती
कृष्ण स्वरूप, श्री — बदायूं
कविद कुमार सिंह, — शाहजहांपुर
गिरधारी, श्री — गाजीपुर
चरन सिंह, श्री — मेरठ
जी0 एस0 विनोद, श्री — मुजफ्फरनगर
ज्ञानवती सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
दिनेश जौहरी, डा0 — बरेली
धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री — फरुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री — मैनपुरी
नवाब सिंह, श्री — मथुरा
नारायण दत्त तिवारी, श्री — नैनीताल
पतिराज, श्री — आजमगढ़
परमानन्द दण्डी स्वामी, श्री — फैजाबाद
पूरन चन्द्र शर्मा, श्री — अल्मोड़ा
पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
बृजेश कुमार शर्मा, श्री — प्रतापगढ़
भोला सिंह, श्री — इलाहाबाद
मनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर
मन्नूलाल कुरील, श्री — बांदा
मस्तराम, श्री — उन्नाव
महावीर सिंह, श्री — हरदोई
महेन्द्र जैन, श्री — मेरठ
रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
राजेन्द्र सिंह, श्री — बिजनौर
राम कुमार, श्री — खीरी
राम प्रसाद सिंह, श्री — बांदा
राम सरन सिंह, श्री — अलीगढ़
लाल चन्द्र पाण्डेय, श्री — वाराणसी

विजय सिंह राणा, श्री आगरा
वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
शिव बहादुर, श्री रामपुर
श्रीराम, श्री मऊ
सत्य प्रकाश विकल, श्री आगरा
समीउल्ला, श्री गोण्डा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री गाजियाबाद
सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
हनुमन्त सिंह, श्री गोण्डा
हरनरायन सिंह, श्री रायबरेली

सत्यमेव जयते

मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 1991

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के पुकारे जाने पर एवं मा0 सदस्य के उपस्थित न रहने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सदन अव्यवस्थित है। मैंने नियम-311 के अन्तर्गत एक सूचना दी है। फर्रुखाबाद जिले में 6 हरिजनों की हत्या से संबंधित यह सूचना है। उन्नाव जिले में भी इससे पहले दो हरिजनों को जलाकर मार डाला गया। दिन प्रति दिन हरिजनों की हत्याओं का सिलसिला हो रहा है। इस पर पहले नियमों को निलम्बित करके चर्चा करायें। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने पर)

मान्यवर, अगर इसको नहीं लिया गया तो सदन का चलना संभव नहीं है।

(घोर व्यवधान)

हरिजनों के उत्पीड़न पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

(श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री शिवदर्शन, श्री नरेश चन्द्र, श्री फरीद महफूज किदवई एवं विपक्ष के कई अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर फर्रुखाबाद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दलितों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, के नारे लगा रहे थे।)

(घोर व्यवधान)

आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, हरिजन विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, फर्रुखाबाद के हत्यारों को फांसी दो-फांसी दो के नारे लगाये गये जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें अथवा सदन के बाहर चले जायं।

(शोर)

आप लोग अपने स्थान पर चले जायं वरना मुझे कोई अप्रिय निर्णय लेना पड़ेगा।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री स्वामी नाथ यादव, श्री नरेश अग्रवाल, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री बलराम यादव, श्री बाबूराम यादव, श्री फरीद फहफूज किदवई, श्री सोमांश प्रकाश, श्री राम सेवक सिंह, श्री विशम्भर प्रसाद, श्री वी0आर0 वर्मा, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री हृदयनारायण दीक्षित, श्री निरवेन्द्र कुमार को नियम 299 (1) के अंतर्गत इंगित करते हुए बाहर जाने को कहता हूं ।.

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, सुनायी नहीं पड़ा, क्या आपने प्रस्ताव करने का निदेश दिया है ?

(शोर के कारण घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों का मैंने नाम पुकारा है वह सदन से बाहर चले जायं।

(सदस्यों के श्री अध्यक्ष के आसना की ओर बढ़ने और नारे लगाने पर ।)

मार्शल, जिन मा0 सदस्यों का नाम मैंने पुकारा है उनको सदन से बाहर ले जायें ।

(शोर)

मैं सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

(इसके बाद श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 6 मिनट पर सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी ।11 बजकर 36 मिनट पर मार्शल ने 12 बजकर 30 मिनट तक सदन के स्थगन की सूचना दी)

प्रश्नोत्तर†

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की कृषि योग्य भूमि को नहरों के निर्माण में भूमि उपयोग परिषद् की अनुमति लेने से छूट दिया जाना

**1–डा0 बृज भान यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1988 में निर्गत किसी शासनादेश के अंतर्गत प्रदेश में कृषि योग्य भूमि को किसी अन्य प्रयोजन हेतु अधिग्रहण करने के लिए नियोजन विभाग की (भूमि उपयोग परिषद् की) अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सड़क, विद्युत, गृह इत्यादि पर उपरोक्त प्रतिबन्ध से छूट दी गई है परन्तु नहरों के निर्माण हेतु ली जाने वाली भूमि के लिए ऐसी छूट नहीं दी गई है जिससे कृषकों को हजारों एकड़ भूमि का बकाया मुआवजा मिल सकें? क्या सरकार नहरों के निर्माण में ली जाने वाली भूमि के संबंध में भी भूमि उपयोग परिषद् की अनुमति की अनिवार्यता से छूट देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जी हां।

जी हां। सड़क निर्माण तथा विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण हेतु छूट प्रदान की गई।

जी नहीं । उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु छूट दिया जाना विचाराधीन नहीं है ।

---

†टिप्पणी :–प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

नत्थी 'ख'

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद मैनपुरी के नरसिंह यादव इण्टर कालेज करहल के प्रबन्धक श्री शिशुपाल सिंह को एक लाख रुपये की धनराशि दिया जाना

*1—श्री बाबूराम यादव—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरसिंह यादव इण्टर कालेज करहल, जनपद मैनपुरी को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से 1 (क) लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी? यदि हां, तो वह धनराशि किसे वितरित की गई? क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्ध समिति का विवाद उच्च न्यायालय में लम्बित होने पर भी एक पक्षीय होकर अनियमित रूप से एक पक्ष को उक्त धनराशि दे दी है? यदि हां, तो क्या अनियमित ढंग से शासकीय धन को हड़पने में सहायता करने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक को दण्डित करने का कष्ट करेंगे?

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)—

जी हां।

श्री शिशुपाल सिंह, प्रबन्धक, नरसिंह यादव इण्टर कालेज, करहल, मैनपुरी को।

जी नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में श्री शिशुपाल सिंह ही विद्यालय प्रबन्धक के रूप में मान्य थे, अतः उक्त धनराशि उन्हें दिनांक 10-7-1991 को दे दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी 'ग'

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की किश्त

*1—श्री रामपाल (हरदोई)—

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-1-1991 से कितने प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय हो गया है? कब तक संबंधित शासनादेश निर्गत करके कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जायेगा? सरकार किस तिथि तक का रुपया कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करवाना चाहेगी तथा किस तिथि से नगद भुगतान के आदेश जारी करेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

प्रदेश के कर्मचारियों को दिनांक 01-01-1991 से निम्न दरों पर महंगाई भत्ता देय हो गया था :—

वेतन श्रेणी	महंगाई भत्ते की मासिक दर वेतन का प्रतिशत
(1) 3,500 रु0 तक मूल वेतन	51 प्रतिशत
(2) 3,501 रु0 से 6,000 तक मूल वेतन	38 प्रतिशत परन्तु कम से कम 1785 रु0
(3) 6000 रु0 से अधिक मूल वेतन	33 प्रतिशत परन्तु कम से कम 2280 रु0

उपरोक्तानुसार मंहगाई भत्ते की स्वीकृति के आदेश दिनांक 3 जुलाई, 1991 को निर्गत किए जा चुके हैं । बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दिनांक 1 जनवरी, 1991 से 31 मई, 1991 तक अवशेष धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया गया है और दिनांक 1 जून, 1991 से जिसका भुगतान जुलाई, 1991 में देय होता है, नगद किया गया है । किन्तु जिनका मूल वेतन रु0 3500.00 प्रतिमास से अधिक है उन्हें नकद भुगतान न करके नियमित अंशदान की तरह उनके भविष्य निधि खाते में जमा होगा ।

जनपद बस्ती के खलीलाबाद कस्बे के पास संजय पेपर मिल के गन्दे पानी से फैल रहे प्रदूषण को रोकने की मांग

*2–श्री राम ललित–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती में खलीलाबाद कस्बे के पास सजय पेपर मिल के गन्दे पानी से आमी नदी का पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पानी पीने से पशु अंधे हो रहे हैं तथा सिंचाई करने से वह भूमि ऊसर हो जाती है ? यदि हां, तो उक्त प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? कब तक कायवाही पूरी हो जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 तथा धारा 44 के अन्तर्गत अलग-अलग दो वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं । पहला वाद धारा 33 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती के न्यायालय में विचाराधीन था जो स्थानान्तरित होकर इस उद्देश्य के लिए गठित लखनऊ स्थित विशेष न्यायालय में विचाराधीन है । साक्ष्य हेतु दिनांक 1-8-91 की तिथि नियत थी । उक्त तिथि को प्रशासनिक कारणों से क्षेत्रीय अधिकारी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हो सके ।

संजय पेपर मिल, खलीलाबाद, बस्ती के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-44 के अंतर्गत वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती के न्यायालय में विचाराधीन था जो अब स्थानान्तरित होकर इस उद्देश्य के लिए गठित लखनऊ स्थित विशेष न्यायालय में विचाराधीन है । पिछली तिथि 7-8-91 को नियत थी, अब अगली तिथि दिनांक 27-8-91 के लिए नियत है ।

प्रदेश सरकार को वित्तीय वर्ष 1990-91 में सेल्स टैक्स से आय का विवरण

*3–श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री किशन गोपाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1990-91 में सेल्स टैक्स से प्रदेश सरकार को कितनी आमदनी हुई ? क्या यह सही है कि इस सरकार ने सेल्स टैक्स समाप्त करने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो सेल्स टैक्स समाप्त करने से होने वाली आय की कमी को सरकार किस प्रकार पूरा करने जा रही है ? यदि सेल्स टैक्स समाप्त नहीं कर रही है, तो, क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वित्तीय वर्ष 1990-91 में टैक्स से प्रदेश सरकार को 1,369.65 करोड़ रुपया की आमदनी हुई है ।

जी नहीं ।

उपरोक्त के प्रकाश में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

सेल्स टैक्स राज्य सरकार के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है । सेल्स टैक्स से राज्य सरकार को अपने सम्पूर्ण राजस्व का लगभग आधा प्राप्त होता है । राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सेल्स टैक्स को समाप्त किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री अनुराग मेहरोत्रा आत्मज श्री बी0 आर0 मेहरोत्रा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय द्वारा विलम्ब से जारी किये जाने की शिकायत

*4–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1978 में पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र परिषद् कार्यालय द्वारा जारी कर दिए गए ? यदि हां, तो क्या श्री अनुराग मेहरोत्रा आत्मज श्री बी0 आर0 मेहरोत्रा अनुक्रमांक 16339 आटर् से जो वर्ष 1978 में लखनऊ से उक्त परीक्षा उत्तार्ण की है, को परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र परिषद् कार्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र 13 वर्षों तक जारी न करने के संबंध में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

हां दिनांक 1 अगस्त, 1991 को ।

उक्त अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्र निर्गत करने में जो समय लगा, उसके संबंध में छानबीन करायी जा रही है ।

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की मांग

*5–श्री अजय प्रताप सिंह, श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) तथा श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए शासन बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी नहीं ।

शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल बेरोजगारी भत्ता दिया जाना कठिन है ।

मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ अध्यापकों को विनियमित किये जाने के आदेश

*6–श्री किशोरी लाल (जौनपुर)–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में, जो

1982 से अब तक हजारों की संख्या में एडहाक नियुक्तियां की गईं, उनको नियमित किये जाने संबंधी कोई मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनको कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां। उत्तर प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ अध्यापकों की सेवायें विनियमित करने हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1991 प्रख्यापित किया जा चुका है तथा प्रश्नगत अध्यापकों को विनियमित करने हेतु विभागीय आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*7–श्री राम आसरे वर्मा–

[दूसरे मंगल में तारा0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य के मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों को पिछड़ेपन के आधार पर जिला योजना हेतु परिव्यय आवंटन किया जाना

*8–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों को धन आवंटित करने की किसी ऐसी नीति पर सरकार विचार कर रही है जिसका आधार किसी जिले की जनसंख्या, सिंचन साधन उपलब्ध सन्के, परिवहन सेवायें, शिक्षण संस्थायें आदि विकास के प्रमुख बिन्दुओं को बनाया गया हो ? यदि नहीं, तो जिला योजना में धन आवंटन की वर्तमान नीति क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रदेश में जनपदों को जिला योजना हेतु परिव्यय आवंटित करने हेतु किसी नई नीति पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों को जिला योजना हेतु परिव्यय आवंटन जनसंख्या तथा कतिपय विकास संकेतकों में पिछड़ेपन के आधार पर किया जाता है । उपयोग किये जा रहे परिव्यय आवंटन के मानक संलग्नक में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 28 पर)

पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अंश कालिक शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति की प्रक्रिया

*9–श्री भारत सिंह रावत–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए कुल कितने अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्तियां की गई है ? अब तक उनमें से कितने अंशकालिक शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियां हो चुकी हैं ? तथा शेष सभी अंशकालिक शिक्षकों के तदर्थ नियुक्तियों में कब तक समायोजन हो जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

कुल 2204 अंशकालिक स्वयंसेवियों को शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया था और उन्होंने कार्य किया ।

इनमें से 1070 की तदर्थ नियुक्ति की गई, 401 अनर्ह पाये गये तथा 289 के गुणांक न होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी ।

अन्य विषयों की अवशेष रिक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, जिसके अनुसार नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है ।

विभिन्न जनपदों में स्थापित जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली

*10—श्री महराज सिंह यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जनपदों में स्थापित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत सीधी भर्ती के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो अभिकरण में कार्यरत कितने कर्मचारी/अधिकारी अभी तक लाभान्वित हुए हैं ? क्या अभिकरण किसी आर्गनाइजेशन के अंतर्गत शासकीय मान्यता प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हरिवंश कपूर)—

जी नहीं ।

सेवा नियमावली तैयार की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

अभिकरण एक पंजीकृत संस्था है ।

तारांकित प्रश्न

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग की अनुरक्षण मद में धनराशि आवंटित करने की मांग

1—श्री सुरेश प्रताप गांधी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्मित मार्गों की वार्षिक मरम्मत व रख रखाव के लिये लोक निर्माण विभाग की भांति धनराशि अनुरक्षण मद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को आवंटित करने का प्राविधान करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के मार्गों का निर्माण कार्य डिपाजिट के रूप में कराया जाता है । निर्मित मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की सम्पत्ति नहीं है । अतः अनुरक्षण मद हेतु बजट प्राविधान कराने का प्रश्न नही उठता है।

जनपद अलीगढ़ नगर में रामघाट रोड रेलवे क्रासिंग पर पुल के निर्माण की मांग

2—श्री सुरेश प्रताप गांधी—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ नगर में रामघाट रोड रेलवे क्रासिंग पर पुल न होने से प्रति वर्ष अनेक दुर्घटनायें होती हैं और कई वर्षों से पुल

निर्माण हेतु जनआन्दोलन भी चल रहे हैं ? क्या इस संस्थान पर केन्द्र सरकार के सहयोग से अपरगामी सड़क पुल निर्माण कराने हेतु शासन त्वरित कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

लोक निर्माण मंत्री (डा0 सुरजीत सिंह डंग)–

यातायात में सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से प्रश्नगत स्थल पर उपरिगामी पुल के निर्माण की मांग की जा रही है ।

प्रस्तावित उपरिगामी सेतु स्थल पर दोनों ओर के मार्ग का स्वामित्व नगरपालिका, अलीगढ़ का है । प्रस्तावित सेतु के निर्माण के संबंध में निर्णय लेने के पूर्व स्थल निरीक्षण, सम्भावित संरेखण एवं भूमि तथा भवनों के अधिग्रहण की संभाव्यता के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है ।

इसका निर्माण उपरोक्त के अतिरिक्त रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रदेश में राष्ट्रीय नीति के अनुरूप एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों के मार्गों को पक्के मार्गों से जोड़ने की योजना

3–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक हजार से अधिक जनसंख्या (सन् 1971 की जनगणना के अनुसार) वाले ग्रामों को चालू पंचवर्षीय योजना काल की अवधि में पक्के मार्गों से जोड़ने का राष्ट्रीय नीति के अनुरूप प्रदेश में इस श्रेणी के सभी ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने हेतु शासन ने क्या कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो इन ग्रामों के मार्ग कब तक निर्मित करा दिए जायेंगे ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बस्ती के अंतर्गत कुवानों नदी पर शिवाघाट पुल के निर्माण में विलम्ब के कारणों का विवरण

4–श्री राम ललित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अंतर्गत कुवानों नदी पर शिवाघाट पुल का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था और समय बद्धता के अनुसार निर्माण कब समाप्त होना था ? विलम्ब का कारण क्या है और उसका दायित्व किस पर है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि पुल में लगाये जाने हेतु लाया गया सामान गायब भी हुआ है ?यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य मार्च, में प्रारम्भ हुआ था तथा इसे दिसम्बर, 1990 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित था ।

धनाभाव के कारण पुल निर्माण में विलम्ब हुआ । उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार कोई सामान गायब नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुल का निर्माण कार्य पूर्ण होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

5–श्री राम पाल–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जिला देवरिया के अंतर्गत बनकटाशिव तथा सैराट घाट पर पुल बनाने की मांग

6–श्री हरिवंश सहाय–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के अंतर्गत बनकटाशिव तथा सैराट घाट पर पुल बनाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए प्रश्नगत स्थलों पर पुल बनाने की सम्प्रति कोई योजना नहीं है ।

जनपद जालौन के तहसील कालपी के दस्यु पीड़ित क्षेत्रों में दस्यु उन्मूलन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का डामरीकरण

7–श्री श्रीराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कालपी जनपद जालौन के दस्यु पीड़ित क्षेत्रों में दस्यु उन्मूलन योजना के अंतर्गत किस प्रकार की सड़कें कहां से कहां तक बनवाई गई हैं, कितनी निर्माणाधीन है तथा कितनों का निर्माण अभी होना है ? उक्त क्षेत्रों में जो सड़कें निर्मित की जा चुकी हैं, उनमें कितनों का डामरीकरण किया जा चुका है, यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जो सड़कें उखड़ चुकी हैं उन सड़कों की मरम्मत की गई है ? यदि हां, तो कब तथा कहां से कहां तक ? उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

लेपन स्तर तक की सड़कें बनाई गई हैं जो निम्नवत् हैं :–

(1) इटोरा बबीना मार्ग ।

(2) कालपी मदारीपुर से दहेल खण्ड यमुना घाट मार्ग ।

(3) सरैनी इगुई मार्ग ।

चार सड़कें निर्माणाधीन हैं तथा इनके अतिरिक्त कोई मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत नहीं है ।

उक्त निर्मित तीनों सड़कों पर डामर का लेप किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सड़कों की मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों में वर्षवार व्यय की गयी धनराशि का विवरण

8–श्री श्रीराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन हेतु वर्ष 1989-90 तथा 90-91 में लोक निर्माण विभाग को कितनी धनराशि वर्षवार दी गयी थी ? उस धनराशि का वर्षवार किन-किन कार्यों में तथा कहां-कहां उपयोग किया गया ? क्या उक्त विभाग द्वारा व्यय की गई धनराशि व उससे कराये गये कार्यों की प्रदेश स्तर के किसी सक्षम अधिकारी से जांच कराई गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि करायी जायेगी तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जनपद जालौन हेतु वर्ष 1989-90 तथा 90-91 में लोक निर्माण विभाग को क्रमशः 608.05 लाख रुपये तथा 707.98 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी ।

वर्षवार सूचनाओं से सम्बन्धित सूचियां संलग्न हैं†।

कार्यों पर व्यय की गई धनराशियों से सम्बन्धित लेखा परीक्षण समय-समय पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा किया जाता है । वर्ष 1989-90 में भवन कार्यों एवं मार्ग सम्बन्धित कार्यों की जांच प्राविधिक कोष्ठ, लखनऊ द्वारा की गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन हेतु वर्ष 1989–90, 1990–91 सभी स्वीकृत सड़कों, पुलों एवं रपटों के निर्माण की मांग

9–श्री श्रीराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन हेतु वर्ष 1989-90 तथा वर्ष 90-91 में विभिन्न प्रकार की कितनी सड़कें तथा पुल व रपटा स्वीकृत किये गये हैं ? स्वीकृत किये गये पुल, रपटा व सड़कों में से कितनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है कितनों पर कार्य निर्माणाधीन व प्रगति पर है तथा कितनों पर कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है और क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जनपद जालौन हेतु वर्ष 89-90 में खड़ंजा स्तर तक 18 तथा लेपन स्तर तक 26 सड़कों एवं एक सेतु की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा वर्ष 90-91 में लेपन स्तर तक 49 सड़कें एवं 7 पुल व रपटा स्वीकृत किये गये हैं ।

स्वीकृत किये गये पुल, रपटा व सड़कों में से एक सेतु एवं 7 मार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है । 92 कार्य निर्माणाधीन व प्रगति पर है तथा एक सेतु का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है जिसका कारण आयोजनागत मद में पर्याप्त अनुदान का उपलब्ध न हो पाना है ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक की पदोन्नति का मामला

10–श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर) तथा दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय निर्माण निगम में प्रबन्ध

---

†छापी नहीं गयी ।

निदेशक का पद लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता के स्तर का होता है जबकि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक अधीक्षण अभियंता के स्तर के हैं ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि राजकीय निर्माण निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कोई जांच आज भी चल रही है तथा काफी दिनों से इसी कारण इनकी पदोन्नति नहीं की गयी ? क्या वर्तमान प्रबन्ध निदेशक ने अपने तैनाती समय में बड़े पैमाने पर अपने लोगों को प्रतिनियुक्ति में लिया है तथा शासन द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगाये जाने के समय में व्यापक पैमाने पर भर्ती की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

उत्तर प्रदेश निर्माण निगम में प्रबन्ध निदेशक के पद पर लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की बाध्यता नहीं है । तथापि निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता, श्रेणी–II के स्तर के अधिकारी हैं ।

जी नहीं, इनके विरुद्ध वर्तमान समय में कोई अनुशासनिक जांच नहीं चल रही है । अत: इनकी पदोन्नति में कोई जांच बाधक नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ लोक निर्माण सचिव शाखा के कर्मचारियों के विशेष भत्ते के मामले को वेतन विसंगति समिति को संदर्भित किया जाना तथा पदों का निर्धारण और नियुक्ति

11–श्री राम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ लोक निर्माण सचिव शाखा के कर्मचारियों को सचिवालय विशेष भत्ता अनुमन्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-8-1990 पर क्या निर्णय हुआ है ? उक्त कर्मचारियों को सचिवालय विशेष भत्ता किस तिथि से अनुमन्य/भुगतान करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? कोष्ठ के पत्र संख्या–1051 सी टी ई/23-पी0 डब्लू0-स्था 1990, दिनांक 08 जून, 1990 में क्या निर्णय हुआ है ? उक्त पत्र पर कार्यवाही करके कब तक वित्त विभाग की सहमति से आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-8-90 में उठाया गया बिन्दु विचाराधीन है । सम्प्रति निर्णय के संबंध कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के पत्र दिनांक 8-6-90 में उठाये गये बिन्दु को वेतन विसंगति समिति को संदर्भित कर दिया गया है ।

समिति की संस्तुति पर यथा समय यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

12–श्री राम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–4031 ई0 बी0 आर0/23-पी0 डब्लू0 183 ई0 बी0 आर0/58, दिनांक 12-12-1958 के द्वारा गठित/स्थापित तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-7256 बी0 एस 23-सा0 नि0 अनु-4-133 बी0 एस0/81, दिनांक 1-10-82 के पैरा-4 के द्वारा उच्चीकृत प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक परीक्षक एवं सहायक प्राविधिक परीक्षक के पद, लोक निर्माण सचिव शाखा के किस स्तर के समकक्ष के पद हैं ? क्या वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के एक अधीक्षण अभियन्ता एवं एक मुख्य अभियन्ता, सचिव शाखा में संयुक्त सचिव एवं विशेष सचिव के पद पर तैनात/कार्यरत हैं ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत पदों का लोक निर्माण सचिव शाखा में कोई स्तर निर्धारित नहीं है, क्योंकि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ सचिवालय से भिन्न संगठन है ।

जी हां ।

13–श्री राम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण सचिव शाखा में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-8-1990 पर क्या निर्णय लिया गया है ? न्याय विभाग एवं कार्मिक विभाग ने आरक्षित या अनारक्षित में से किस वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु परीक्षा गठित करने का परामर्श दिया है ? मुख्य प्राविधिक परीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निर्देश कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । सम्प्रति नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम रापड़ के नाले पर पुल निर्माण की मांग

14–श्री श्रीराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कालपी, जनपद जालौन के ग्राम गुलौली और उसके आसपास लगे हुए लगभग 18 मजरा व ग्रामों को लोगों को ग्राम रापड़ से होकर कालपी पहुंचने का सीधा रास्ता मात्र 8 कि0 मी0 की दूरी का है किन्तु रापड़ नाले का पुल शासन द्वारा न बनवाये जाने के कारण करीब 25 कि0 मी0 का चक्कर काटकर कालपी जाना पड़ता है ? यदि हां, तो रापड़ नाले का पुल अभी तक न बनवाये जाने का कारण क्या है ? यदि उक्त पुल बनवाया जाना प्रस्तावित है, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत पुल का निर्माण कराया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

दुधवा नेशनल पार्क के जानवरों द्वारा किसानों के खेतों को क्षति पहुंचने पर मुआवजा देने की मांग

15–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुधवा नेशनल पार्क के किनारे-किनारे किसानों की भूमि में बोयी हुई फसलों को चीतल, पाड़ा, सुअर आदि जंगली जानवरों द्वारा हानि पहुंचाई जाती है ? यदि हां, तो क्या ये जंगली जानवर वन विभाग के हैं ? यदि हां, तो क्या किसानों की फसलों के नुकसान का मुआवजा वन विभाग देगा ? यदि हां, तो गत दो वर्षों से मुआवजा अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बाहर चीतल, पाड़ा, सुअर आदि वन्य पशु कभी-कभी पार्क सीमा के बाहर निकल जाते हैं और समीप के खेतों में चरते हैं । चूंकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–62 के अधीन जंगली सुअर को आरक्षित वनों के क्षेत्र के बाहर नवम्बर, 1990 से तीन वर्ष के लिए पीड़क जन्तु घोषित किया गया है, अतः किसानों द्वारा जंगली सुअर को, अधिक क्षति पहुंचाने पर, मारा जा सकता है ।

ये जंगली जानवर राष्ट्र की धरोहर हैं जिनकी सुरक्षा करना हर मानव का कर्तव्य है ।

वन्य पशुओं द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाये जाने पर मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों को पक्का कराये जाने की मांग

16–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बने ग्राम सम्पर्क मार्ग बहुत ही कम संख्या में पक्के कराये गये हैं ? यदि हां, तो इस क्षेत्र के ग्रामीण सम्पर्क मार्गों को कब तक पक्का कराया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी, नहीं । केवल एक मार्ग झंडी हरसिंगारपुर त्रिकोलिया जोकि 12 कि0मी0 लम्बा है, से केवल 2 कि0मी0 भाग (मिट्टी स्तर तक) पक्का होना शेष है ।

यह कार्य जिला सेक्टर योजना का है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा इटावा, बाराबंकी तथा अन्य जिलों पर खर्च की गयी धनराशि का विवरण

17–श्री राम ललित–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 89-90 एवं 90-91 के दौरान लोक निर्माण विभाग के बजट का कितना हिस्सा इटावा एवं बाराबंकी जिलों पर खर्च हुआ है तथा अन्य

जिलों पर कुल बजट का कितना खर्च हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त विषमता का कारण क्या था ? बजट का धन आवंटन हेतु जिलों का मापदण्ड क्या है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

वर्ष 1989-90 में लोक निर्माण विभाग के कुल अनुदान 34784.00 लाख रुपये के समक्ष इटावा एवं बाराबंकी जिलों के कार्यों पर क्रमशः 885.58 लाख रुपये तथा 539.57 लाख रुपये की धनराशियां व्यय की गयी । प्रदेश के अन्य जिलों के कार्यों पर 33358.85 लाख रुपये का व्यय हुआ । वर्ष 1990-91 में कुल अनुदान 43453.39 लाख रुपये के विरुद्ध इटावा एवं बाराबंकी जिलों के कार्यों पर क्रमशः 1901.29 लाख रुपये तथा 2053.96 लाख रुपये एवं प्रदेश के अन्य जिलों के कार्यों पर 39498.14 लाख रुपये का व्यय किया गया । स्वीकृत कार्यों की लागत, मात्रा तथा उनके महत्व के आधार पर धनावंटन किया जाता है ।

जिला योजना के कार्यों के लिए शासन द्वारा निर्धारित परिव्यय के आधार पर धनावंटन जिला स्तरीय अधिकारियों को किया जाता है । राज्य योजना के कार्यों के लिए सामान्यतया धनावंटन, कार्यों की लागत एवं महत्व के आधार पर क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को किया जाता है और वे विभिन्न जनपदों को अनुदान निर्गत करते हैं । अनुरक्षण, रख-रखाव और विशेष मरम्मत आदि मदों के लिए धनावंटन विभिन्न जनपदों में मार्गों की लम्बाई एवं श्रेणी तथा भवनों के कुर्सी क्षेत्रफल एवं श्रेणी के आधार पर किया जाता है । दैवी विपत्तियों से प्रभावित कार्यों के लिए शासन द्वारा वर्षानुवर्ष स्वीकृत धनराशियों का आवंटन वास्तविक क्षति का आंकलन करने के बाद किया जाता है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पडुआ से चन्दुइयापुर तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग को पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव

18–श्री निखवेन्द्र कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि निघासन तहसील, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पडुआ से चन्दुइयापुर (विकास खण्ड रमियाबेहः) तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 89-90 में लगभग 700 मीटर खड़ंजा बीच-बीच में छोड़-छोड़ कर लगाया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त मार्ग पर खड़ंजा बीच-बीच में छोड़कर ही स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्यों और उक्त मार्ग पर पूर्ण रूप से खड़ंजा लगाने का कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जनपद खीरी में ग्राम पडुआ से चन्दुइयापुर तक प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के केवल कि0 मी0 2 में बीच-बीच में छोड़कर कुल 527 मीटर लम्बाई में खड़ंजा नहीं लगा है ।

ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग पर खड़ंजा का कार्य अक्टूबर, 1991 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

19–श्री हरिवंश सहाय–

[2सरे मंगल में अता0 प्र0 सं0 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

20–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

श्री आर0 बी0 मेहरोत्रा सेवा निवृत्त सदस्य, बिक्रीकर अधिकरण उ0 प्र0 को यात्रा भत्ते का भुगतान

21–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 आर0 मेहरोत्रा सेवा निवृत्त सदस्य, बिक्रीकर अधिकरण उ0 प्र0 ने राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0 की संस्तुति के अनुपालन में दिल्ली तक की गयी यात्रा का यात्रा देयक रु0 3089.90 बनाकर अध्यक्ष, बिक्रीकर अधिकरण, उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 5-9-90 को भुगतान करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त यात्रा देयक में अंकित धनराशि के स्थान पर रु0 2840.00 का भुगतान संबंधित अधिकारी को लगभग 5 वर्ष के पश्चात करवाया गया ? यदि हां, तो शेष धनराशि रु0 249.90 किस मद में, किस शासनादेश/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम/उपनियम के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष द्वारा काटी गई ? क्या इस काटी गई धनराशि के संबंध में श्री मेहरोत्रा से स्थिति स्पस्ट करने हेतु प्रयास किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी हां ।

2840-90 का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा 2-2-91 को लगभग 5 माह बाद किया गया न कि 5 वर्ष बाद ।

श्री मेहरोत्रा द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता देयक में उनके द्वारा टैक्सी से यात्रा करने की सूचना दी गई किन्तु वायुयान का क्लेम किया गया । वायुयान से यात्रा करने पर अनुसांगिक व्यय/किलोमीटर भत्ता वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-3 के नियम-23 "ख" "ख" (3) के अधीन एक यात्रा के लिए अधिकतम 20 रुपये देय है जबकि उन्होंने यह भत्ता अधिक क्लेम किया । अतः उक्त नियम के अन्तर्गत 249.90 की कटौती की गयी ।

नियमों के अधीन 249.90 पैसे की धनराशि अनुमन्य नहीं थी अतः उसे काटकर शेष का भुगतान किया गया । नियमों में स्पष्ट प्राविधान को देखते हुए श्री मेहरोत्रा से स्थिति स्पष्ट कराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में उ0 प्र0 सरकार की आय तथा व्यय में अंतर का विवरण

22–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में उ0 प्र0 सरकार की आय तथा व्यय में कितने करोड़ रुपये का अन्तर था ? क्या यह सही है कि यह अन्तर प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है जिससे कि उ0 प्र0 का विकास रुक गया है ? यदि हां, तो सरकार इस अन्तर को समाप्त करने के लिए किस योजना को लागू करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वर्ष 1989-90 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां 9471.61 करोड़ रुपये तथा कुल व्यय 10520.66 करोड़ रुपये था । प्राप्तियों एवं व्यय का ऋणात्मक अन्तर 1049.05 करोड़ रुपये था । इस अंतर में से 972.29 करोड़ रुपये की कमी को लोक खाते की शुद्ध प्राप्तियों से पूरा किया गया ।

वर्ष 1990-91 के लेखे अभी बन्द नहीं हुए हैं, अतः सम्प्रति उस वर्ष की कुल आय एवं व्यय की सूचना देना सम्भव नहीं है ।

श्री बी0 आर0 मेहरोत्रा, बिक्रीकर अधिकारी को विशेष वेतन न दिया जाना

23–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 आर0 मेहरोत्रा ने दिनांक 1-10-69 से 12-6-70 तक बिक्रीकर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि लखनऊ के पद पर तत्कालीन आयुक्त बिक्रीकर के निर्देशानुसार कार्य किया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पद पर कार्य किये जाने पर संबंधित अधिकारियों को रु0 100.00 प्रतिमाह विशेष वेतन दिए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या श्री मेहरोत्रा को उक्त पद पर उक्त अवधि का रु0 100.00 प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन का भुगतान करवाया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों? श्री मेहरोत्रा द्वारा उक्त संबंध में आयुक्त, बिक्रीकर, उ0 प्र0 लखनऊ को दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक 23-6-79 का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी नहीं ।

श्री बी0 आर0 मेहरोत्रा 25-11-68 से 12-6-70 तक बिक्रीकर अधिकारी (प्रशिक्षण) लखनऊ के पद पर ही तैनात रहे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी0 आर0 मेहरोत्रा ने राज्य प्रतिनिधि के रूप में 1-10-69 से 12-6-70 तक कार्य ही नहीं किया तो विशेष वेतन के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मेहरोत्रा के प्रत्यावेदन को अस्वीकार किए जाने की सूचना अलग से दे दी गयी है ।

उर्दू अकादमी को आवंटित धन का विवरण

24–श्री राम ललित–

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 90-91 में उर्दू अकादमी हेतु कितना धन आवंटित किया गया और उस आवंटित धन से कितना धन उर्दू के प्रचार-प्रसार पर व्यय किया गया एवं कितना धन टी0 ए0 डी0 ए0 एवं मनोरंजन तथा भोजन चाय पर व्यय हुआ ?

आबकारी एवं परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

वर्ष 1990-91 में उर्दू अकादमी हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की गई :—

आयोजनागत पक्ष	आयोजनेतर पक्ष
रु050,00,000	रु0 38,69,000

आयोजनागत पक्ष से उर्दू अकादमी के गोमती नगर स्थित भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु स्वीकृत रु0 50,00,000 की धनराशि अकादमी द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ के पी0 एल0 ए0 में उपयोग हेतु दिनांक 1-9-90 को हस्तान्तरित की गई ।

आयोजनेत्तर पक्ष से उर्दू अकादमी को स्वीकृत रु0 38,69,000 में से प्रश्नगत मदों पर नीचे उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय की गई:–

मद	व्यय
(क) उर्दू के प्रचार-प्रसार	रु0 14,49,000
(ख) उर्दू अकादमी के सदस्यों के टी0ए0 डी0ए0	रु0 26,000
(ग) उर्दू अकादमी के स्टाफ के टी0ए0 डी0ए0	रु0 16,000
(घ) मनोरंजन तथा चाय	रु0 6,000
(ङ) भोजन	शून्य

(12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

[× × ×]

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलते रहे, जो कुछ सुनाई नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह लिखा नहीं जायेगा। कृपया सदन व्यवस्थित करिये। (व्यवधान) . . .यह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा। जिनको कहा गया था, वे कृपया सदन से बाहर चले जायं।

(घोर व्यवधान)

मुझे दुःख है कि बार-बार विचार-विमर्श के बाद भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी पिछले शुक्रवार को इस सदन में जो घटना हुई थी, वह खेदजनक थी । मुझे इस बात की आशा थी कि कक्ष में जो विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय होगा, उसका सभी लोग अपने-अपने दलों के द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन

नोट:–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कोई भी कारण हो, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। कार्य-मंत्रणा समिति ने एक निर्णय लिया था कि आज शून्य प्रहर नहीं होगा। कार्य-सूची के अनुसार सदन चलने की बात हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अनेक माननीय सदस्य किसी न किसी कारण से वेल में आ गये और मुझे नियमों के अनुसार सदन से बाहर निकालने का निर्णय देना पड़ा। मैं चाहता हूं कि यह सदन ठीक से चले, शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य संचालन करे। लेकिन फिर भी अगर उसमें व्यवधान आयेगा, तो मुझे विवश होकर नियमों का सहारा लेना पड़ेगा। मैं अपेक्षा करूंगा कि जितने माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, वे सब नियमों का पालन करेंगे और मुझे सहयोग देंगे। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को वेल में आने के कारण बाहर जाने को कहा गया था, वे कृपया सदन से बाहर चले जायं।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन नियमों से चलेगा, नियमों के विपरीत नहीं चलेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अनुसार जैसा आदेश दिया है उसका अनुपालन करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप नियमावली देख लें।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली के नियम 299 को मैं पढ़े देता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप नियम 299 (क) देखिये, नियमावली में साफ-साफ लिखा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रकार से कई लोगों को एक साथ बोलने की अनुमति नहीं देता।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप नियमों के विपरीत कोई निर्देश नहीं देंगे। नियमावली को आप देख लें। इसमें कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि आप सामूहिक रूप से सदस्यों का निलम्बन करें। अगर किसी के खिलाफ इस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है तो उसे आप स्वयं देख लें उसमें है कि एक-एक सदस्य का नाम लेकर उसके नाम का प्रस्ताव किया जायेगा तभी माननीय सदस्यों का निलम्बन किया जा सकता है। आपने सामूहिक तौर पर बिना इंगित किये, बिना प्रस्ताव के निलम्बन की घोषणा की है इसलिए यह अवैध है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया नियम 299 देख लें और मेरे साथ पढ़ें। इसमें है अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, इसमें सदस्य है सदस्यों के समूह का नहीं है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी आप तो विधि के ज्ञाता है सिंग्यूलर इनक्लूडसप्लूरल (व्यवधान) पहले आप नियम पढ़ लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसमें है कि यदि कोई सदस्य सदन के किसी उपवेशन में सभा मंडप के..

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, नियम 299 पढ़े, 299 (क) नहीं (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, आप सदन नियमों से चलायेंगे। नियमों का पालन करना जितना इधर के लिए जरूरी है उतना ही उस पीठ के लिए भी जरूरी है। अगर नियमों के विपरीत आप जाते हैं तो आप भी सदन की अवमानना करते है।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो आप उससे ज्यादा सदन की अवमानना करेंगे (घोर व्यवधान)

एक वचन में बहुवचन सम्मिलित है। अभी 299(2) की कार्यवाही की स्टेज नहीं आई है, 299(1) में निर्णय दिया है।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, यह प्रमोद तिवारी जी सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, 299 (3) (क) देखने का कष्ट करें–"जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायगा, सदन नेता या संसदीय कार्य मंत्री अथवा उनकी अनुपस्थित में कोई सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय और ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न बिना किसी संशोधन या विवाद या स्थगन प्रक्रिया के सदन के समक्ष उपस्थित कर दिया जायेगा ।"

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, इनको ऊपर से निर्देश आया है कि सदन को न चलने दें उनके निर्देश पर माननीय प्रमोद कुमार जी सदन में इस तरह से अव्यवस्था फैला रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने मान्यवर 299 (क) के तहत कार्यवाही की है जिसमें यह है कि यदि कोई सदस्य सदन के किसी उपवेशन में सभा मण्डप के मध्य रिक्त स्थान में आकर सदन के सेवकों की मेज पर रखे पत्रादि को छीनता है–मान्यवर, ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई फिर आगे है या छीनने का प्रयास करता है यह भी नहीं हुआ ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 299 (क) में जो जो बातें दी हैं उसमें कोई भी वैसी घटना सदन के समक्ष नहीं हुई है ।

(घोर व्यवधान)

मा0 सदस्यों के आचरण एवं व्यवहार की जांच हेतु समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 104 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता हूं और अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष महोदय इसे ग्राह्य करके चर्चा के निमित्त कोई दिन नियत करने की कृपा करें--प्रस्ताव इस प्रकार है--

दिनांक 9 अगस्त, 1991 को उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपवेशन में इस सदन के सदस्यगण सर्व श्री श्याम सुन्दर शर्मा, नरेश अग्रवाल, प्रमोद तिवारी, हरचरण यादव,

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप एक एक सदस्य को इंगित करते, उनका नाम लिया जाता । उस समय की गयी निलम्बन की कार्यवाही नियमों के विपरीत है ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री राम कुमार शुक्ला अपना प्रस्ताव पढ़ते रहे)

श्री राम कुमार शुक्ल–

बाबूराम यादव, सुरेन्द्र नाथ, शिवेन्द्र सिंह, संत बक्स रावत, अवधपाल सिंह, हृदय नारायण दीक्षित, अशोक कुमार (लखनऊ), बलराम यादव,

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

संसदीय कार्य मंत्री जी, आज की निलम्बन की कार्यवाही नियमों के विरुद्ध है। इसलिए सदन की अवमानना हुई है। मैं आग्रह करूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी यह सदन की अवमानना है हम इस नियम को मानने से इन्कार करते हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री राम कुमार शुक्ल अपना प्रस्ताव पढ़ते रहे)

श्री राम कुमार शुक्ल–

पूरन प्रकाश, अंगद, अरविन्द प्रताप सिंह, राधेश्याम, छोटे लाल, शिव कुमार बेरिया, इस्लाम साबिर, राम औतार शाक्य, शयाद अली, अकबर, निरबेन्द्र कुमार ने सदन की "वेल" में आकर अध्यक्ष पीठ के सामने खड़े होकर नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही में बाधा डाली। दिनांक 9 अगस्त, 1991 को ही विधान सभा के सदस्यगण सर्वश्री श्याम सुन्दर शर्मा, हरी चरण यादव, सुरेन्द्र नाथ, संत बक्स रावत, अवध पाल सिंह, हृदय नारायण दीक्षित, बलराम यादव, पूरन प्रकाश, राधेश्याम, शिव कुमार बेरिया, इस्लाम साबिर, राम औतार शाक्य, शयाद अली ने माननीय अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही के संचालन हेतु आने से रोका। उपरोक्त सदस्यों की उक्त अवांछनीय, अभद्र

तथा अशोभनीय व्यवहार की जांच करने और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही संस्तुत करने हेतु इस सदन की एक समिति गठित की जाय जिसमें नौ से अनधिक सदस्य (जो मा0 अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जायं) हों और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, इसे आज ही पारित कराने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

जब तक इस प्रदेश में [XXX] तब तक इस सदन के चलने का कोई औचित्य नहीं है। हमें दुख है कि [XXX] इस तरह से सदन नहीं चलेगा। हरिजन विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, श्री राम कुमार शुक्ल जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए यह आग्रह करता हूं कि यह आवश्यक हो गया है कि जो अव्यवस्था फैला रहे हैं उनको सदन से निकाला जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राम कुमार शुक्ला ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 200 के अन्तर्गत मैं कमेटी गठित करने की घोषणा करता हूं जो इनके आचरण व व्यवहार की जांच करेगी और एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इस समिति के 9 सदस्यों के नाम 24 घंटे के अन्दर घोषित कर दिये जायेंगे।

अब मैं सदन को एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी। एक बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(सदन के पुनः प्रारम्भ होने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । देश में हरिजनों की हत्याएं हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, मेरा निश्चित आरोप है कि [XXX] जो लोग चुनकर आये हैं वह यह हत्याएं करा रहे हैं।

नोटः–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। अब मैं अगली मद लेता हूं। मद सं0-3 लगायत 14 पढ़ी हुई मान ली जाय।

(मद संख्या 3 से 14 तक पढ़ी हुई मान ली गयी ।)

यू0 पी0 टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन 1987-88†

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यू0 पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन 1987–88 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।]

यू0पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85†

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दी यू0पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1984–85 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं]

उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन 1986–87†

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दि उत्तर प्रदेश स्टेट लैदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1986–87 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं]

यू0 पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन 1983-84†

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दि यू0पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक चिट्ठा वर्ष 1983-84 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।]

उत्तर प्रदेश राज्य ब्रासवेयर निगम लिमिटेड मुरादाबाद का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86†

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दि उत्तर प्रदेश राज्य ब्रासवेयर निगम लिमिटेड मुरादाबाद का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।]

नोट [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1984-85†

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1984–85 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।]

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1985-86†

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1985-86 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।]

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन 1982-83

सिंचाई, न्याय तथा विधायी कार्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन, 1982-83 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 629 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल की सुविधायें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1990††

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 3817/सत्रह-सं-1-90-94 सं/81, दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल की सुविधाएं) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1990 जो दिनांक 24 जनवरी, 1991 को सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि दिनांक 12 मार्च, 1991 को विधान सभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाने एवं तदोपरान्त दिनांक 4 अप्रैल, 1991 को दशम् विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1991 तथा उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991†

सचिव विधान सभा–

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त :–

(1) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, तथा

(2) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1991-92 का अनुपूरक विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1991-92 का अनुपूरक) विधेयक, 1991, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 1991 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 8 अगस्त, 1991 को ही विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 अगस्त, 1991 को वापस प्राप्त हो गया ।]

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा–

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1991 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 9 अगस्त, 1991 को वापस प्राप्त हो गया ।]

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(सदन की सहमति से सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9 अगस्त, 1991 की बैठक में सदन के दिनांक 12 तथा 13 अगस्त, 1991 के उपवेशनों के कार्य-क्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के संगत नियमों को निलम्बित करते हुए दिनांक 12 अगस्त, 1991 को प्रश्न-काल के पश्चात् शून्य प्रहर नहीं होगा और नियम 301, नियम 300, नियम 311, नियम 51 तथा नियम 56 की सूचनाएं न ली जायं एवं प्रश्नकाल के उपरान्त विधायी कार्य रखा जाए तथा तदुपरान्त श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा रखी जाये ।

2–दिनांक 12 अगस्त, 1991 को असरकारी कार्य न लिया जाय ।

3–दिनांक 12 अगस्त, 1991 को सूखे पर चर्चा न रखी जाए ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

4—सदन के दिनांक 12 तथा 13 अगस्त, 1991 के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :—

अगस्त, 1991

12 सोमवार

(1) प्रश्नकाल के उपरान्त निम्नलिखित विधायी कार्य :—

(क) उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

(ग) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण—आधा घंटा ।

(2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अंतिम दिन)

(3) नियम 103 के अंतर्गत श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत का किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा:—

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद मऊ में त्वरित विकास के लिए वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाय ।"

(1) असरकारी दिवस—(आधा दिन)

(2) विधायी कार्य—(आधा दिन)

(3) नियम 103 के अंतर्गत श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा:—

"यह सदन भारत सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया, मऊ, आजमगढ़ देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर जनपदों को मिलाकर "पूर्वांचल" नाम से एक पृथक प्रदेश का गठन किया जाय ।"]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना जो माननीय अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल के नाम से पृथक राज्य की स्थापना का प्रस्ताव

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश के कुमायूं और गढ़वाल मंडलों के जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमौली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून को सम्मिलित करके उत्तरांचल नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की जाये ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश के कुमायूं और गढ़वाल मंडलों के जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून को सम्मिलित करके उत्तरांचल नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की जाये, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा (10 की धारा -1) के खण्ड छ के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव का स्थगन

रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिए विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव का स्थगन

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव का स्थगन ।

उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेन्डर एवं नीलामी) (नियमावली **(संशोधन) विधेयक, 1991 के पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा मांगने एवं पुरः स्थापित** करने संबंधी मद का स्थगन ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा मांगने एवं पुरःस्थापित करने संबंधी मद का स्थगन ।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन एवं वैधीकरण) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने हेतु अनुज्ञा तथा पुरःस्थापित करने संबंधी मद का स्थगन ।

उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंन्धन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा मांगने एवं पुरःस्थापित करने संबंधी मद स्थगित की गई ।

उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेन्डर एवं नीलामी) (नियमावली) (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण का प्रस्ताव का स्थगन ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण का प्रस्ताव का स्थगन ।

उत्तर प्रदेश शिक्षकीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव का स्थगन ।

उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव का स्थगन ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव में नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उससे सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी, जो उपस्थित किए हुए माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 31 जुलाई, 91 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

जनपद मऊ में त्वरित विकास के लिए विकास प्राधिकरण स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय स0 वि0 स0 के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा का स्थगन

प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के पाठयक्रम की पुस्तके उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन ।

प्रदेश के बुनकरों को ऋण प्रदान न किये जाने के कारण व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राम गोविन्द चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं । कल दिनांक 13-8-91 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

12 अगस्त, 1991 ।
लखनऊ :

टिप्पणी :–† दिनांक 2 अगस्त, 1991 की कार्यवाही से ।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 6 पर)

जनपदों को परिव्यय आवंटन हेतु उपयोग किये जा रहे मानक

(अ) मैदानी क्षेत्र

सूचकांक	प्रतिशत भाग
1—कुल जनसंख्या	50
2—अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	5
3—सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4—कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5
5—औद्योगिक पिछड़ापन	5
6—सड़कों में पिछड़ापन	5
7—विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन	5
8—अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन	5
9—पेयजल अभावग्रस्त गांव	5
	95

(परिव्यय के शेष भाग को जनपदों की विशेष समस्याओं, उनके द्वारा जुटाये गये संसाधना अथवा शुरुआत में उत्पन्न होने वाली "असंगतियों" को दूर करने के निमित्त आरक्षित किये जाने का प्राविधान है)।

(ब) पर्वतीय क्षेत्र

सूचकांक	प्रतिशत भाग
1—कुल जनसंख्या	50
2—अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	5
3—सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4—कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5
5—औद्योगिक पिछड़ापन	5
6—विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन	5
7—अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन	5
8—पेयजल अभावग्रस्त गांव	5
9—भौगोलिक क्षेत्रफल	5
10—इफैक्टिव फारेस्ट कवर	5
योग :	100

पी0एस0यू0पी0—एल0 162 विधान सभा (282)—1991---813 ।